



फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

ख्या..... 70 सन् 2017 किस्म मुकदमा प्राथमिक पत्र

हस्ताक्षर एवं वकिल बनाम व्यक्तित्व के प्रति

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
<p>15 ⁷/₁₉ पत्रावली पत्रे द्वारा न्यायालय न्यायालय समक्ष में पत्रावली के अन्तर्गत लम्बाई 70 परन्तु प्राथमिक व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुए। (विटाला उपखण्ड) अदालत फौजदारी/अदालत हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत शुद्ध हो कर नम्बर ले कर हो। निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द </p> <p style="text-align: right;">  </p>	